कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक GENS-11/2893/2026-SAMNVAY नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19-06-2026

प्रति

1. कुलसचिव
   समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
2. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, छत्तीसगढ़

विषय :– **शारीरिक कल्याण शुल्क में वृद्धि बाबत।**

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमाक जी.ई.एन.एस./20440/2026/38–2 नवा रायपुर दिनांक 15.06.2026 ।

******

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लिये जाने वाले शारीरिक कल्याण शुल्क रु. 150/– प्रति विद्यार्थी के स्थान पर रु. 200/– प्रति विद्यार्थी किया गया है जिसमें से रु. 150/– महाविद्यालय के पास रहेगा तथा शेष रु. 50/– विश्वविद्यालय को अग्रेषित किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Jasminder Singh Virdi
Date: 19-06-2026
18:58:38
सहायक संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक GENS-11/2893/2026-SAMNVAY नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ....

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

Ab hire board website.

PRINCIPAL
Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls P.G. College, Durg (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

----00----

क्रमांक **GENS/20440/2026/38-2** नवा रायपुर अटल नगर, दि. **15.06.2026**
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)।

विषयः- विश्वविघालय/महाविद्यालय के विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शारीरिक शिक्षण शुल्क में वृद्धि संबंधी आदेश जारी करने विषयक।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव क्रमांक GENS-11/2893/2026-SAMNVAY दिनांक 18.03.2026

---00---

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 6077 एफ-15-35/2009/38-1 दिनांक 06.07.2010 में शारीरिक कल्याण शुल्क (स्पोर्ट फीस) 10 माह के लिए रू. 150/- लिया जाए, जिसमें रू. 100/- महाविद्यालय एवं रू. 50/- विश्वविद्यालय को देने का प्रावधान किया गया था।

राज्य शासन एतद् द्वारा, शारीरिक कल्याण शुल्क रू. 150/- प्रति छात्र के स्थान पर रू. 200/- प्रति छात्र किया जाता है। जिसमें से रू. 150/- महाविद्यालय के पास रहेगा तथा शेष रू. 50/- विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
FABIOLA BARA
Date: 15-06-2026
16:42:49

(फबिओला बड़ा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठा. क्र. **GENS/20440/2026/38-2** नवा रायपुर अटल नगर, दि. **15.06.2026**

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, महानदी भवन, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर,
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
FABIOLA BARA
Date: 15-06-2026
16:43:34

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग